भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 22**

05.12.2013 को उत्तर के लिए

**जैव-विविधता प्रबंधन समिति का गठन**

**22. श्री एन0 के0 सिंह :**

 **डा0 जनार्दन बाघमरे :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण संकटापन्न औषधीय पादपों की सूची तैयार करने में विफल रहा है और यदि नहीं, तो ऐसे पादप कितने हैं तथा सरकार द्वारा ऐसी प्रजातियों को संरक्षित रखने हेतु कौन-से कदम उठाए गए हैं;

(ख) कितने स्थानीय निकायों के अंतर्गत जैव-विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है ; और

(ग) सभी स्थानीय निकायों के अंतर्गत कब तक ऐसी जैव-विविधता प्रबंधन समितियों का गठन कर दिए जाने की संभावना है ऐसी जैव-विविधता प्रबंधन समितियों के क्या कार्य हैं ;

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन )**

(क) से (ख) जैव-विविधता की धारा 38 केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से किन्हीं प्रजातियों को जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, अथवा संकटापन्न प्रजातियों के रूप में संभवतया निकट भविष्य में विलुप्त होने वाली हैं, को समय-समय पर अधिसूचित करने और उनके एकत्रण पर रोक लगाने अथवा नियंत्रण करने तथ उन प्रजातियों की पुनर्बहाली तथा संरक्षित करने हेतु समुचित कदम उठाने के लिए अधिकार प्रदान करती है । तदनुसार, ऐसी प्रजातियों की राज्य-वार सूची जिसमें औषधीय पौधे शामिल हैं, को तैयार किया गया था और राज्य सरकारों को भेजा गया । निम्नलिखित प्रत्युत्तर प्राप्त किए गए, अब तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 16 राज्यों के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं ।

 सरकार ने औषधीय पौधों सहित जैव-विविधता की सुरखा हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं । द फांउडेशन फॉर रिवाईटलाईजेशन आँफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन्स (एफआरएलएचटी)जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का औषधीय पौधा एवं पारंपरिक ज्ञान का उत्कृष्टता का केन्द्र है, ने 335 रेड लिस्टेड औषधीय पौधों की प्रजातियों की एक सूची तैयार की है ।

(ग) जैव-विविधता अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा जैव-विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) का गठन किया जाना अपेक्षित है । अब तक, 23 राज्यों में 32,221बीएमसी का गठन किया गया है । सभी राज्यों से स्थानीय स्तर पर बीएमसी गठित करने का अनुरोध किया गया है ।

 जैव-विविधता नियम 22 के अनुसार, बीएमसी का प्रमुख कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से पीपल्स बायोडाईवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करना है । रजिस्टर में स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता एवं ज्ञान उनके औषधीय अथवा किसी अन्य उपभोग तथा उनसे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान संबंधी व्यापक जानकारी शामिल होंगी । बीएमसी के अन्य कार्य अनुमोदन प्रदान करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड अथवा राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण द्वारा इसे भेजे गए किसी मामले पर परामर्श देना और स्थानीय वैद्यों क संबंध में डाटा तैयार करना है । जैव-विविधता की धारा 41 के अनुसार, बीएमसी अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किसी जैव संसाधन के अभिगमन अथवा एकत्रण के लिए किसी व्यक्ति से एकत्रण शुल्क के ज़रिये परिव्यय की उगाही कर सकता है ।

\*\*\*\*